

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-118/राजस्व/राहत/2007/77
प्रति,

रायपुर, दिनांक 28/1/2015


- 1 शासन के समस्त विभाग,
- 2 अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर छत्तीसगढ़,
- 3 समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4 समस्त संभागीय आयुक्त, लोकशासन
- 5 समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।

विषय:-राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 6.07.2009

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। भारत सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 में प्रावधान अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में संशोधन किया गया है। अधिसूचना दिनांक 5.12.2014 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(चन्द्रकान्त उड्गे)
संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 28/1/2015

पृ.क्रमांक एफ 1-118/राजस्व/राहत/2007/78
प्रतिलिपि:-

- 1 माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर छत्तीसगढ़।
 - 2 माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर।
 - 3 मुख्य सचिव के अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर।
 - 4 प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रायपुर।
 - 5 समस्त माननीय मंत्रीजी के निज सहायक मंत्रालय नया रायपुर।
 - 6 माननीय श्री विक्रम उसेंडी संसद लोक सभा क्षेत्र कांकेर, छत्तीसगढ़ भवन, 7 सरदार पटेल मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली।
 - 7 श्री राजू सिंह क्षत्री विधायक, विधानसभा क्षेत्र तखतपुर ग्राम मुसलमान मोहल्ला तह-पो0 तखतपुर जिला बिलासपुर।
 - 8 माननीय श्री शिवरतन शर्मा विधायक विधानसभा क्षेत्र भाटापारा, सुभाष वार्ड भाटापारा जिला बलौदाबाजार।
 - 9 माननीय श्री लखनलाल देवांगन विधायक विधानसभा क्षेत्र कटघोरा क्वार्टर नं0 538, ब्लॉक-23, तीसरी मंजिल हाउससिंग बोर्ड कालोनी खम्हारडीह रायपुर।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Aud/1

HOS/EE/SF-T/P/CE(M)/E-in-C

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

2/2

